



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या-146 राँची, सोमवार, 3 फाल्गुन, 1942 (श०)
22 फरवरी, 2021 (ई०)

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

30 जुलाई, 2020

संख्या- 16/पद सृजन-09-02/2018- 233(16)-- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा-70 की उपधारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा-68 के अधीन राज्य के प्रत्येक जिले के न्याय निर्णायक अधिकारी (Adjudicating officer) द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील मामलों की सुनवाई के लिए खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण (Food Safety Appellate Tribunal) की स्थापना की जाती है।

2. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा-68 के अन्तर्गत सभी जिलों के अपर समाहर्ता (Additional Collector) को न्याय निर्णायक अधिकारी (Adjudicating Officer) नामित किया जाता है। इस संबंध में पूर्व में न्याय निर्णायक अधिकारी (Adjudicating Officer) से संबंधित निर्गत सभी अधिसूचना/आदेश को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

3. न्याय निर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई के लिए पीठासीन पदाधिकारी (Adjudicating Officer) की नियुक्ति के निमित्त झारखण्ड राज्य के संबंधित जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा राँची जिला के लिए न्यायायुक्त (Judicial Commissioner), अपने न्यायमण्डल के किसी जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/अपर न्यायायुक्त के न्यायालय को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत न्याय निर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई के लिए पदनामित/ मनोनित कर सकेंगे।

4. विभागीय संलेख ज्ञापांक-209(16) दिनांक-24.06.2020 में निहित उपर्युक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक-22.07.2020 की सम्पन्न बैठक में मद संख्या-18 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

डॉ० नितीन कुलकर्णी,
प्रधान सचिव।
